न्यायालय :– सहायक कलक्टर (फास्ट – ट्रेक) शाहपुरा जिला – जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या : – 08/1987, 107/2015, 214/2016

शीर्षक

1/1 सेडू (मृत)
1/1/1 मदनलाल
1/1/2 महेश कुमार
1/1/3 मोहनलाल
समस्त पुत्रान स्व0 सेडू
1/2 सरदारा (मृत)
1/2/1 मन्नी देवी बेवा स्व0 सरदारा
1/2/2 रामशरण पुत्र स्व0 सरदारा
1/2/3 रामकुमार पुत्र स्व0 सरदारा
1/2/4 धोली देवी पुत्री सरदारा पत्नी सुरेश कुमार जाति यादव उम्र वयस्क निवासी केला का बास तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
1/2/5 लक्ष्मी देवी पुत्री सरदारा पत्नी नेमीचन्द उम्र वयस्क जाति यादव निवासी भुरानपुरा नेस्ती वासी तह0 आमेर जिला जयपुर राज0।
1/2/6 सन्ती देवी पुत्री सरदारा पत्नी महेश कुमार उम्र वयस्क जाति यादव निवासी केला का बास तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।
1/4 शिम्भू पुत्र कालू
1/4 ओमप्रकाश पुत्र कालू
1/5 मन्नी बेवा कालू(मृत) (नाम हजफ)
समस्त उम्र वयस्कान जाति यादव निवासी ढाणी काली कोठी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. मुरली पुत्र श्योलाल
2. जगदीश पुत्र गिरधारी
3. फूलचन्द पुत्र गिरधारी
समस्त उम्र वयस्कान जाति गुर्जर निवासी खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री खेमचन्द यादव अधिवक्ता वादीगण
श्री.....अधि0 प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 31/7/2023

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 2573 रकबा 0.14, 2746 रकबा 0.25 है0 ग्राम खोरी तह0 शाहपुरा के गत सेटलमैण्ट में ख.न. 216 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा था जिसका अब नया नम्बर 308/2573 एवं 307/2746 बनाया गया है। वादी को उक्त भूमि 20 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व अॅलाट हुई थी तभी से वादी अपनी भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है। वर्तमान में भी उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त है। वादी ने अपनी भूमि की मौके पर पेड लगाकर मेडबन्दी कर रखी है। उक्त भूमि के उत्तर–पूर्व में प्रतिवादीगण एवं 2 व 3 की भूमि है जिसमें वादी का उत्तर–पूर्व सीमा के भीतर ही एक खेजडे का पेड खडा है। जिससे वादी हमेशा से लूम, पातडी, छडी छांगता

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आ रहा है तथा उत्तर पूर्व पश्चिम वाली सडक की ओर प्रतिवादी सं0 1 का खेत है। जिसमें वादी ने अपनी भूमि में तीन साल पूर्व सफेदे के पेड लगा रखे है। वादी उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। भूमि मुतनाजा से प्रतिवादी का कोई अधिकार व संबंध नहीं है। अब प्रतिवादीगण ने नये सेटलमेंट के दौरान सेंटलमेंट अधिकारियों से साज करके नये नक्शे में मौके व पूर्व नक्शें में दर्ज स्थिति को बदला दिया है तथा वादी की भूमि का रकबा मैट्रिक पद्वति से 0.45 है0 होना चाहिए था परन्तु हाल बन्दोबस्त के जो नवीन खसरा नम्बर बनाये गये है उनका रकबा मात्र 0.39 है0 ही दर्ज किया है। जो 0.06 है0 कम है उसे प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि हाल ख.नं. 312, 314 में शामिल कर दिया गया है। सैटलमैंट कर्मचारियों ने बिना अधिकार वादी की खातेदारी भूमि का रकबा कम दर्ज किया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत नक्शा बनाया है जो काबिले दुरूस्ती है। अतः वादी को पुराने रिकार्ड के अनुसार 0.45 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तद्नुसार नक्शे में दुरूस्ती कराई जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे कि वे वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा नहीं करें उसकी भूमि में खडे पेडों को न काटे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 की ओर से जरिए अधिवक्ता जवाब दावा प्रस्तुत किया गया, तनकीयात कायम की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही में लाई गई तथा दावा वादी एकपक्षीय में दिनांक 19.01.2001 को वादी के पक्ष में डिक्री किया गया।

उक्त निर्णय डिक्री दिनांक 19.01.2001 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोर्ट जयपुर के समक्ष अपील दायर होने पर माननीन न्यायालय आरएए जयपुर के निर्णय दिनांक 06.05.2015 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.01.2001 को निरस्त करते हुए पुनः विधिवत सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करने के आदेश किए गए उक्त निर्णय दिनांक 06.05.2015 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.06.2016 द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 06.05.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण इन्हें इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया गया कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दू पर आदेश पारित करने के उपरांत पत्रावली में अपीलार्थी गण द्वारा उठाए गए आक्षेपों पर विचार करते हुए इस न्यायालय द्वारा प्रकट किए गए अभिमत से प्रभावित हुए बिना उभयपक्ष को सुनकर नए सिरे से विधि अनुसार निर्णय पारित करें। तदोपरांत माननीय न्यायाल राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा प्रकरण की पुनः सुनवाई करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.01.2001 को निरस्त करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः संशोधित निर्णय पारित करने के आदेश दिनांक 17.07.2017 को प्रदान किए गए साथ ही माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 13.08.2019 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.07.2017 को यथावत रखते हुए उभय पक्ष को निर्देश दिए गए कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.09.2019 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखे।

इसके उपरांत पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई पक्षकारान की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया। वकील उभयपक्ष ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय अनुसार प्रकरण का पुनः निस्तारण हेतु कथन किया हमने माननीय न्यायालय के द्वारा पारित निर्णयों का गहन अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों मौखिक साक्ष्यों एवं तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया।

इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 19.01.2001 के अनुसार ख.नं. 314 में से 0.01 है0 व ख.नं. 312 में से 0.05 है0 भूमि को कम करके यह भूमि वादी के हक में घोषित की गई थी मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 05 को देखने से स्पष्ट होता है कि ख.नं 312 साबिक ख.नं0 368 से एवं ख.नं. 314 साबिक ख.नं. 369 से बने है। इसकी पुष्टि हेतु तहसीलदार

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

शाहपुरा की रिपोर्ट तलब की गई साथ ही साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मिलान करने से स्थिति स्पष्ट जाहिर होती है कि साबिक खसरा नम्बर 368 व 369 से बने हाल खसरा नम्बर 312 व 314 में वादी का रकबा साबिक रकबे के विपरीत कुल 0.06 है0 कम दर्ज किया गया है। भू–प्रबंध विभाग ने भू–प्रंबधक कर्मचारियों को साबिक रकबे के विपरीत वादी का खातेदारी रकबा कम करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी द्वारा पूर्व नक्शे के अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त किया जाने का भी अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार साबिक नक्शे के अनुसार हाल नक्शा दुरूस्त योग्य प्रकरण पूर्णतया साबित होता है। तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में साबिक ख.नं. 216 हाल खसरा नम्बर 308/2573 रकबा 0.04 है0 खसरा नम्बर 307/2746 रकबा 0.15 है0 खसरा नम्बर 312 रकबा 0.10 है0 खसरा नम्बर 307 रकबा 0.15 है0 तथा ख.नं0 314 के रकबा 0.01 है0 से बना होना अंकित किया है खसरा नम्बर 312 में 0.05 है0 की खातेदारी की घोषणा साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मिलान करने के फलस्वरूप स्थिति स्पष्ट होने पर की गई है हाल नक्शा की नकल प्रदर्श 03 व साबिक नक्शे की नकल प्रदर्श 04 पत्रावली में उपलब्ध है जिससे स्थिति स्पष्ट होती है कि किस खसरा नम्बर की जमीन किस खसरा नम्बर में शामिल की गई है।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा प्रश्नागत भूमि के संबंध मे रिपोर्ट पेश की गई कि साबिक ख.नं0 216 का रकबा हाल बंदोबस्त की गई कार्यवाही में किस–किस खसरा नम्बर में कितना–कितना गया है। तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राम खोरी शेरपुरा के साबिक खसरा नम्बर 216 का रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जो हाल बंदोबस्त की कार्यवाही के दौरान खसरा नम्बर 308/2573 का 0.04 है0, 312 की 0.10 है0 307 की 0.15 है0, 314 की 0.01 है0 307/2746 की 0.15 है0 कुल 0.45 है0 में गया है। साबिक खसरा नम्बर 216 रकबा मैट्रिक प्रणाली से बनता है। हाल नक्शा ट्रेस में साबिक खसरा नम्बर 216 की स्थिति को लाल स्याही से दर्शाया गया है नकल जमाबन्दी संवत 2035–38 खाता सं0 415 ग्राम खोरी शेरपुरा वादी के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जो प्रदर्श 01 पत्रावली में उपलब्ध है जिसके भू–प्रंबध की कार्यवाही में हाल खसरा नम्बर 308/2573 रकबा 0.14 है0, 307/2746 रकबा 0.25 है0 किता – 2 रकबा 0.39 है0 कायम किये जाकर वादी की खातेदारी में दर्ज किये गये है जबकि साबिक रकबे के अनुसार हाल रकबा 0.45 है0 दर्ज करना चाहिए था तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट अनुसार साबिक खसरा नं0 216 का कमी रकबा 0.06 है0 से हाल खसरा नम्बर 312 व 314 में शामिल किया गया है। हाल भू–प्रंबध की कार्यवाही के दौरान वादी की खातेदारी भूमि का नक्शा साबिक के अनुसार नहीं बनाकर मौके की स्थिति के विपरीत नक्शा बनाया गया है। वादी की खातेदारी भूमि का कमी रकबा गलत रूप से मौके की स्थिति के विपरीत बनाया जाकर कमी रकबा प्रतिवादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 312, 314 में शामिल कर दिया गया है जो काबिल दुरूस्ती पाया जाता है। नकल जमाबंदी संवत 2042-47 प्रदर्श 02 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 05 व 06 जमाबंदी में उपलब्ध है।

प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब दावे के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर वादी का दावा खारिज किया जा सके। वादी का साबिक रकबे के विपरीत 0.06 है0 रकबा खातेदारी में कम दर्ज किया गया है जिसकी दुरूस्ती अनुसार घोषणा कराने का वादी अधिकारी है जिसकी पुष्टि में दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार दावा वादी काबिले दुरूस्ती पाया जाता है।

पत्रावली पर अंतिम बहस के दौरान प्रतिवादी अनुपस्थित रहे है चूंकि पत्रावली वर्ष 2017 से बहस में लंबित चली आ रही है प्रकरण वर्ष 1987 का है जो काफी पुराना हो चुका है प्रतिवादी की ओर से प्रकरण में वर्ष 2017 से कोई विधिवत् पैरवी नहीं की गई है जिससे जाहिर होता है कि प्रतिवादी प्रकरण मे कोई रूचि नहीं रखते है तथा प्रकरण को वे अनावश्यक लंबित रखना चाहते है। इस प्रकार वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई है चूंकि प्रस्तुत वादी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2001 को डिक्री किया जा

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

चुका था जिसके विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा 13 वर्ष पश्चात माननीय न्यायालय राजस्व अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील दायर की गई थी जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2015 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.01.2001 निरस्त कर पत्रावली इस न्यायालय को पुनः विधिवत सुनवाई हेतु रिमांड की गई है एवं इस निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील दायर की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 28.06.2016 द्वारा राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय 06.05.2015 को अपास्त कर पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी को पत्रावली रिमांड की गई। तत्पश्चात माननीय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा दिनांक 17.07.2016 को निर्णय पारित करते हुए इस न्यायालय का निर्णय 19.01.2001 को निरस्त करते हुए तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर उभय पक्ष को सुना जाकर पुनः संशोधित निर्णय पारित करने के आदेश दिए गए लेकिन माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 17.07.2017 के पश्चात प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में कोई रूचि नहीं ली गई तथा न ही बहस हेतु उपस्थित हुए ऐसी स्थिति में प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। 31

प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली के विधिवत निर्णय पारित करने हेतु हमने तहसीलदार शाहपुरा को विवादित भूमि के संबंध में पुनः रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय पत्रांक 50 दिनांक 20.02.2023 द्वारा निर्देशित किया गया कि विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 216 वाकै ग्राम खोरी शेरपुरा तहसील शाहपुरा की खातेदारी जमाबन्दी संवत 2035–38 में कमल पुत्र झुथा अहीर सा0 खोरी के नाम दर्ज थी हाल भू–प्रबंध की कार्यवाही के दौरान हाल खसरा नम्बर 308/2573 रकबा 0.14 है0 व खसरा नम्बर 307/2746 रकबा 0.25 है0 बनाया गया है जिसका कुल रकबा 0.39 है0 दर्ज किया गया है मैट्रिक प्रणाली के अनुसार साबिक रकबे के अनुसार 0.47 है0 दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार खातेदारी का कमी रकबा 0.06 है0 साबिक व हाल नक्शा के अनुसार इस नम्बर में शामिल किया गया है यह स्थिति स्पष्ट करावे। प्रतिवादी की खातेदारी का रकबा भी कम नहीं होना चाहिए इस प्रकार साबिक नक्शे के अनुसार हाल नक्शे का मिलान करते हुए नक्शे में उक्त कमी रकबा 0.06 है0 को लाल स्याही से दर्शाते हुए स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाए कि वादी का कमी रकबा की पूर्ति किस नंबर से किया जावे। साथ ही मौके की कब्जे काश्त की स्थिति भी स्पष्ट करावे तहसीलदार शाहपुरा ने भू0अ0 निरीक्षक खोरी तहसील शाहपुरा को स्थिति स्पष्ट करने हेतु जरिए पत्र कमांक 748–49 दिनांक 27.02.2023 द्वारा निर्देशित किया गया। भू0अभि0नि0 खोरी मय पटवारी हल्का खोरी ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट तैयार करके तहसीलदार शाहपुरा को प्रस्तुत की गई जो तहसीलदार शाहपुरा के पत्र कमांक दिनांक 28.07.2023 द्वारा इस न्यायालय को दिनांक 28.07.2023 को प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली है। भू0अभि0नि0 खोरी एवं पटवारी हल्का खोरी ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में साबिक व हाल रिकार्ड को मध्यनजर रखते हुए अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुताबिक हाल व साबिक नक्शा ग्राम खोरी नक्शा व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन अनुसार मुताबिक खेवट खतौनी हाल बंदोबस्त के आधार पर हाल खसरा नम्बर 312,313,314 साबिक खसरा नम्बर 217 खोरी एवं खसरा नम्बर 367, 368, 369 ग्राम अमरपुरा के खसरों से बना हुआ है। तत्समय खोरी शेरपुरा व अमरपुरा में इस जगह ओवरलेप की स्थिति थी दोनों ग्रामों से शुद्ध कर खसरा नम्बर 312, 313, 314 बने है। साबिक रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 367 रकबा 2 बिस्वा, 368 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, 369 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा था। इस प्रकार कुल रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा होता है जिसका वर्तमान रिकार्ड मैट्रिक प्रणाली के अनुसार रकबा 1.39 है0 होता है जबकि हाल खसरा नम्बर 312 रकबा 0.71, 313 रकबा 0.01 है0 314 रकबा 0.69 किता – 3 रकबा 1.41 है0 जो साबिक रकबे के मुकाबले 0.02 है0 ज्यादा है। ग्राम खोरी शेरपुरा के साबिक नक्शे एवं हाल नक्शे का मिलान करने पर संलग्न नजरी नक्शे वाली स्थिति आती है जिससे साबिक व हाल नक्शे का मिलान होता है तथा मौके की स्थिति भी इसी के अनुरूप है ग्राम खोरी के साबिक खसरा नम्बर 216 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का आंशिक भाग साबिक खसरा नम्बर 218 के दक्षिण में जाता है

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

जिसका रकबा 0.04 है0 है तथा कुछ भाग साबिक खसरा नंबर 217 के दक्षिण अर्थात् वर्तमान खसरा नम्बर 312 रकबा 0.71 है0 में ओवरलेप होता है जिससे खसरा नंबर 312 में 0.02 है0 भूमि हाल खसरा नम्बर 307/2746 में शामिल करने से तथा हाल खसरा नम्बर 307 में से 0.07 है0 भूमि खसरा नम्बर 307/2746 में शामिल करने से नक्शे की स्थिति साबिक के अनुसार होती है। जो सही है। अर्थात हाल खसरा नंबर 307/2746 रकबा 0.25 है0 में खसरा नम्बर 312 रकबा 0.71 में 0.02 है0 तथा खसरा नम्बर 307 रकबा 5.29 है0 में से 0.04 है0 कम कर खसरा नम्बर 307/2746 में शामिल करने से इसका रकबा 0.31 है0 हो जाएगा जिससे साबिक व हाल नक्शा एवं रिकार्ड समान हो जाता है।

हमने भू0अभि0नि0 खोरी एवं पटवारी हल्का खोरी की संयुक्त जांच रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया जिससे वाद पत्र की खुलासा स्थिति स्पष्ट होती तथा मौका स्थिति में साबिक नक्शे के अनुसार कोई फेरबदल की स्थिति नहीं होती है जिससे वाद पत्र पूर्ण रूप से ताईद होती है । न्यायालय भू0अभि0नि0 व पटवारी हलका की संयुक्त रिपोर्ट से सहमत है चूंकि साबिक व हाल रिकार्ड व साबिक नक्शे से हाल नक्शे का मिलान करते हुए यह रिपोर्ट तैयार की गई है इसके अलावा साबिक खसरा नम्बर 368, 369 वाके ग्राम अमरपुरा तहसील शाहपुरा का हिस्सा 1/2 यानी 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी मुरली पुत्र श्योलाल गुर्जर ने दिनांक 04.10.1980 को पूर्व खातेदार से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि क्रय की थी तत्समय ग्राम खोरी व ग्राम अमरपुरा में इस जगह ओवरलेप होने की स्थिति होने से ग्राम खोरी के हाल नक्शे में बदलाव हुआ है। जो भू0अभि0नि0 व पटवारी हलका की संयुक्त जांच रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट होती है अतएव वादी के वादपत्र की स्थिति पूर्णतया खुलासा होने से वादपत्र की ताईद होती है।

ग्राम खोरी के साबिक खसरा नम्बर 216 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा का आंशिक भाग साबिक खसरा नम्बर 218 के दक्षिण में जाता है जिसका रकबा 0.04 है0 है तथा कुछ भाग साबिक खसरा नम्बर 217 के दक्षिण अर्थात वर्तमान खसरा नम्बर 312 रकबा 0.71 में ओवरलेप होता है जिससे खसरा नम्बर 312 में से 0.02 है0 भूमि हाल खसरा नम्बर 307/2746 में शामिल करने से तथा हाल खसरा नम्बर 307 में से 0.07 है0 भूमि खसरा नम्बर 307/2746 में शामिल करने से नक्शे की स्थिति साबिक के अनुसार आती है।

उपर्युक्त जांच रिपोर्ट से प्रस्तुत वाद पत्र की पूर्णतया स्थिति स्पष्ट होती है जिससे वाद पत्र की पुष्टि होती है।

अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा ग्राम खोरी के हाल आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.71 में से 0.02 है0 तथा खसरा नम्बर 307 रकबा 5.29 है0 में से 0.04 है0 भूमि कम की जाकर हाल खसरा नम्बर 307/2746 रकबा 0.25 है0 में शामिल की जाकर हाल खसरा नम्बर 307/2746 का कुल रकबा 0.31 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही भू0अभि0नि0 व पटवारी हलका खोरी की संयुक्त रिपोर्ट के संलग्न हाल नक्शे में हरी स्याई से प्रर्दशित हाल खसरा नम्बर 307/2746 रकबा 0.02 है0 भूमि का पूर्वी भाग प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 314/1 में शामिल करते हुए खसरा नम्बर 314/1 रकबा 0.69 है0 की बजाय 0.71 है0 का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का कुल रकबा में कोई अंतर नहीं होगा अर्थात् प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का कुल रकबा पूर्व अनुसार यथावत रहेगा। भू0अभि0नि0 एवं पटवारी हलका की संयुक्त रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा निर्णय का जुज रहेगा दोनों पक्षों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार एक-दूसरे की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/7/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(मनमोहन मीणा)
उप जिला मजिस्ट्रेट एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(32)

न्यायालय सहायक कलक्टर(फा.ट्रे.) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
वाद संख्या : – 08/1987, 107/2015, 214/2016

शीर्षक

(1) 1 सेडू (मृत)
1/1/1 मदनलाल
1/1/2 महेश कुमार
1/1/3 मोहनलाल
समस्त पुत्रान स्व0 सेडू
(2) 2 सरदारा (मृत)
2/2/1 मन्नी देवी बेवा स्व0 सरदारा
2/2/2 रामसरण पुत्र स्व0 सरदारा
2/2/3 रामकुमार पुत्र स्व0 सरदारा
2/2/4 धोली देवी पुत्री सरदारा पत्नी सुरेश कुमार जाति यादव उम्र वयस्क निवासी केला का बास तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर राज0
2/2/5 लक्ष्मी देवी पुत्री सरदारा पत्नी नेमीचन्द उम्र वयस्क जाति यादव निवासी भुरानपुरा नेस्ती वासी तह0 आमेर जिला जयपुर राज0।
2/2/6 सन्ती देवी पुत्री सरदारा पत्नी महेश कुमार उम्र वयस्क जाति यादव निवासी केला का बास तह0 जमवारामगढ जिला जयपुर।
(3) 3/1 शिम्भू पुत्र कालू
(4) 3/2 ओमप्रकाश पुत्र कालू
(5) 5/1 मन्नी बेवा कालू(मृत) (नाम हजफ)
समस्त उम्र वयस्कान जाति यादव निवासी ढाणी काली कोठी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

–वादीगण

बनाम

1. मुरली पुत्र श्योलाल
2. जगदीश पुत्र गिरधारी
3. फूलचन्द पुत्र गिरधारी
समस्त उम्र वयस्कान जाति गुर्जर निवासी खोरी तह0 शाहपुरा जयपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री खेमचन्द यादव अधिवक्ता वादीगण
श्री.....अधि0 प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 31/7/2023

अतः दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा ग्राम खोरी के हाल आराजी खसरा नम्बर 312 रकबा 0.71 में से 0.02 है0 तथा खसरा नम्बर 307 रकबा 5.29 है0 में से 0.04 है0 भूमि कम की जाकर हाल खसरा नम्बर 307/2746 रकबा 0.25 है0 में शामिल की जाकर हाल खसरा नम्बर 307/2746 का कुल रकबा 0.31 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही भू0अभि0नि0 व पटवारी हलका खोरी की संयुक्त रिपोर्ट के संलग्न हाल नक्शे में हरी स्याई से प्रर्दशित हाल खसरा नम्बर 307/2746 रकबा 0.02 है0 भूमि का पूर्वी भाग प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 314/1 में शामिल करते हुए खसरा नम्बर 314/1 रकबा 0.69 है0 की बजाय 0.71 है0 का प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का कुल रकबा में कोई अंतर नहीं होगा अर्थात् प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि का कुल रकबा पूर्व अनुसार यथावत रहेगा। भू0अभि0नि0 एवं पटवारी हलका की संयुक्त रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा निर्णय का जुज रहेगा दोनों पक्षों को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार एक–दूसरे की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा न करें। (35)

(मनमोहन मीना)
सहायक कलक्टर (एफ़0टी0)
शाहपुरा जिला–जयपुर

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner